रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 510] नई दिल्ली, गुरुवार, नवम्बर 17, 1983/कार्तिक 26, 1905
[No. 510] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 1983/KARTIKA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1983

का. आ. 816 (अ).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 17 नवम्बर, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जब उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध सारे भारत में प्रवृत्त होंगे ।

[सं. वी. 26011/2/83-ए ई.]

पा. कृ. उमाशंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 1983

S.O. 816(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby appoints the Seventeenth day of November, 1983, as the date on which the provisions of section 4 of the said Act shall come into force in the whole of India.

[No. V. 26011/2/83-AE]

P. K. UMASHANKAR, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983